নির্মান ২০ মী০ খী০-40



# प्रकाशत

साधारण

4 माक्किंग 1928 (स॰)

(tio पटना 749) गटना, मंगलवार 26 सितम्बर, 2006

संजिमंडल (संसधीम कार्य) हाणिवालय विभाग

प्रधिनुषना

### 23 ftmart, 2008

संव संव मान्धविव्यंव (मंक्षी) 402212006-927---मिहार के मंत्री (मेतन एवं भयो) मधिरनेक्स संव 151 2008) की धारा-4 दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिधित भियमायत्री बनावे हैं:--

#### **निमगावली**

1. (1) यह नियमोवली बिहार के मंत्री (येतन एवं भरते) निषमायक्षी, 2006 कही या सर्वनी। (2) यह ग्ली मनतूबर, 2000 से प्रभावी होणी। 2. इस नियमावली में, जब सफ कोई बात विषय या सदम के विदय न हो.

(क) "वयित्रिमन ते सनिवेत हे विद्वार मंदियों के (वेतन एवं गत्ते) सांधनियम, 2000;

- (ध) "अधिमा" हे यमिग्रेत है मंत्री को निधी जादी चरीको के लिये दी जानेवाली अधिम की राधि। (ग) "परिषार" से ताल्पर्य हे मता के पत्नी, पति, याधित प्रवयसम्पुछ, पुछी, यथया हैंसे माला, पिता जो पूर्णतः मंत्री पर साथित हों;
- (प) "गवो" से मभिन्ने हैं संभिधान के मनुभाई द-164 के मधीन राज्यपाल ढारा उस रूप में नियुक्त (छ) "सरदय" से भगिन्नेत है बिहार विधान-मंधल के किसी भी सदन का सदस्य ;

(\*) अवस्थ भ आम्म्रत हू । बहार । वधान-मधल क ाक्सा मा सदन का सवस्य ;
(भ) 'यावा भला' से अभिम्रेत है ऐसा मत्ता जो सोक सेवा के लिए मंत्री डारा को यह वावा हेतु
(भ) 'यारकार' से प्रमिन्न ये कि मत्ता भी लम्मितित है ।
(भ) 'यरकार' से प्रमिन्न में दिवहार सरकार.।
पदधार प्रहेण करने के लिमे ''याता-मत्ता'' ।---मुख्य मंत्री, मंत्री की प्रयम्रार प्रहण करने में निमित्त रेख या इस या नत मार्थ से यावा करने पर निम्नलिखित मत्ते प्रत्याप्य होंगे ।---(क) टेन से प्राप्य करने पर निम्नलिखित मत्ते प्रत्याप्य होंगे ।---

(क) ट्रेन से याचा करने पर वातानुकूलित प्रयम क्षेणी/पातानुकूलित द्वितीय क्षेणी की एक मौर का याखान

(थ) उनके साथ बाबा करमेवाले परिवार के होते सवस्य, जो बस्तुतः उनके साथ रहते हों, उन्हें उसी अंगी में याता कर सकरेंगे। परम्तु बास्तवं, में जनकं बारा उक्त भोगी में याता की गयी हो !

(ग) यदि बस से याजा किए हों अपवा प्रेशतः वस एवं पंगतः हुन से घषणा जल मार्ग से याजा किए हों सो याखा पर किए गए यास्तविक व्यय भी रागि वन्हें मुगतेय होगी ;

बिहार भन्नट (प्रसाधारण), 20 सितम्बर 2006

- मंत्रियों का चेतन। -
  - (क) मुख्य मंत्री एवं मंत्री को विहार विधान समा/ बिहार विधान परिषद थे. सदस्य के रूप में देव वेतन अनुमान्य होगा।
  - (ख) ऐसे मुख्य मन्नी/मन्त्री/एज्य मन्त्री/उप मन्त्री/ जो बिहार बिधान मण्डल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें यही बेतन देय होगा, जो किसी सदन के सदस्य को मिलता है:
    - परन्तुः यह कि उन्हें यह सुविधा शपथ ग्रहण की तिथि से 6 माह तक ही प्राप्त होगी.।
- क्षेचीय भत्ता। मुख्य मंत्री / मंत्री सदस्य के रूप में अनुमोन्य क्षेत्रीय भत्ता पाने के इकदार होंगे।
- आतिथ्य भत्ता। मुख्य मंत्री/मंत्री कार्यभार ग्रहण करने की तिथि रो निम्नलिखित दर पर आतिथ्य भत्ता के हकदार होंगे :--
  - मुख्य मंत्री १८०००/- रूपये प्रतिमाइ

मंत्री 14500/- रुपये प्रतिगाह

राज्य मंत्री 14000/- रुपये प्रतिमाह

उप मंत्री 13500/- रुपये प्रतिमाह

- 7.
- आवास की सुविधा। –
- (क) मुख्य मंत्री के हेतु भवन निर्माण विभाग, निर्धारित एवं सुसठिजत आवास उपलब्ध कराएगा तथा उसके रख--रखाव की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगा।
- (ख) मंत्री, राज्य के नूतन राजधानी क्षेत्र में निःशुल्क एवं सुसर्जिजत आवास के हकदार होंगे। उसका उपयोग वे अपने कार्यकाल एवं उसके बाद एक माह तक कर सकेंगे।
- () ऐसे आवासों के अनुरक्षण के सबंध में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यय भार , यहन नहीं करना पर्श्वगा।
- (घ) ऐसे आयासों की साज-सज्जा एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की होगी।
- (ड.) मंत्री के आवासों की साज-सज्जा और अनुरक्षण पर खर्च, उस पैमाने और उस आर्थिक सीमाओं के भीतर होगा, जो राज्य सरकार संकल्प/अनुदेशों के वारा विहित करे।
- (ध) ऐसे आवंटित आवासों में बिजली, पानी एवं अन्य स्थानीय करों को भुगतान सरकार के द्वारा किया ज़ुर्युयेगा।

स्पष्टीकेरण - इस धारा के प्रयोजनार्थ आयास के अन्तर्गत स्टाफ क्वाटर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बंगीचे भी हैं।

8.

बाहन की सुविधा। – मुख्य मंत्री / मंत्री के उपयोग के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी गाड़ियों में प्रतिमाह आवश्यकतानुसार इंधन की आपूर्ति मंत्री के े भिहार गणह (मसासारण); 26 शिलम्बर 2008

ख्यापना विभाग के द्वारा करायी जायगी। गाडी के रख--रखाव की जिम्मेवारी मंत्री के स्थाप्रना विभाग की होगी।

सरकारी कर्ताव्य के लिए अनुमान्य यात्रा धत्ता। --

मुख्य भंत्री / मंत्री को

- निजी कार से सड़क भागे से की गयी यात्रा के लिए 10/- ७० प्रति (75) किलोमीटर की दर से 'मील-मत्ता' देय होगा।
- जल मार्ग से की गयी यात्रा के लिए वास्तविक खर्च भुगतेय होगाः (ख)

परन्तु जब वे अपनी गाड़ी से यात्रा करते हों तथा नदी के पार जाना हो तो वे मील भत्ता के अतिरिक्त वास्तविक जल-परिवहन खर्च पाने के हकदार होंगे।

उपरोक्त यात्राओं की अवधि के लिये नियम 11 के अधीन दैनिक भत्ता देय होगा। +

10.

हवाई जहाज से याना की सुविधायें। -

सरकारी ग्राजा --

(क) मुख्य, मंत्री एविजक्यूटीभ श्रेणी/प्रथम श्रेणीं में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकगे।

(ख) अपूर्णत्री एक्जिक्यूंटीन श्रेणी / प्रथम श्रेणी में सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकेंगे। भुख्य मंत्री/मंत्री को उपरोक्त यात्रा के लिए इस नियमावली के नियम 11 के अधीन दैनिक भत्ता भी अनुमान्य होगा।

दैनिक-भत्ता। – गुख्य मंत्री / मंत्री 500 रू० प्रतिदिन की दर से पूरे माह के 11. लिए दैनिक भत्ता के हकदार होंगे:

परन्तु, राज्य के बाहर यात्रा करने पर 1000/-- क0 प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

दूरभाष की सुविधा। -

- मुख्य मंत्री को आवश्यकता के अनुसार कार्यालय एवं आवास पर दूरमाथ की (帀) सुविधायें प्राप्त होगी।
- मंत्री के कार्यालय एवं आवास पर आधुनिक सक्तनीकी खुविधाओं के साथ (US) एक-्एक दूरभाष की सुविधा प्राप्त होगी।

मंत्री के कार्यालय/आवास पर उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी उनकी स्थापना के विभाग की होगी।

13.

्चिकित्सा सुविधाये। – मुख्य मंत्री / मंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों को अखिल भारतीय लेवा के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों के समान निःशुल्क चिकित्सा की खुविधायें प्राप्त होगी।

14.

रेलवे कृपन की सुविधायें। - मुख्य मंत्री/मंत्री को निजी यात्रा के लिये रेलेये—कूपन की वही सुविधायें प्राप्त होगीं, जो सदस्य के रूप में उन्हें अनुमान्य हैं।

#### विहार गजट (प्रसाधारण), 26 सितम्बर 2006

विदेश यात्रा की सुविधा एवं अनुमान्य भत्ते। –

- (क) मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री की सहमति से विदेश यात्रा पर<sup>1</sup> जा सकेंगे। उन्हें भारत सरकार के भंत्री के समान सुविधायें अनुमान्य होगीं।
- (ख) मंत्री, मुख्य मंत्री को अनुमति लेकर सरकारी कार्य से विदेश जा सकेने। इसके लिए उन्हें भारत सरकार के राज्य मंत्री के समान राविधायें अनुमान्य होगी।

कार अग्रिम। – मुख्य मंत्री/मंत्री को विधान मंडल के सदस्यों के रूप में अनुमान्य कार अग्रिम देय होगा एवं अग्रिम के वापसी विधान मंडल के सदस्यों पर लागू शर्तों के अनुरूप ही होगा।

मुख्य मंत्री/मंत्री, अपना पद-त्याग करने के बाद इस नियमावली के नियम 3 के अधीन यात्रा-भत्ता की सुविधा के हकदार होंगे।

निजी कर्मियों की सुविधा। – इस नियमावली की अनुसूची–1 के अनुसार निजी कर्मियों की सुविधाये अनुमान्य होगी।

राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों को व्याख्या करने तथा समय-समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

निरसन एवं व्यावृत्ति। — 👘 👘

- ) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित नियमावली निरस्त समझी जायेंगी :--
  - (1) बिहार के मंत्री (भत्ता) नियमावली, 1953
  - (2) बिहार के उपमंत्री के (भत्ता) नियमावली, 1954
  - (3) बिहार के मंत्री का मोटर कार अग्रिम नियमावली, 1953

(4) बिहार के जपमंत्री का मोटर कार नियमावली, 1953

इस नियमावली के होते हुए भी पूर्व नियमावलियों के प्रावधानों के अधीन की गयी यात्राओं पर इस नियमावली का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढेगा।

विहार राज्यपाल क आदेश से,

भोगेन्द्र झा, सरकार के उप/सचिव। बिहार गजट (संसाधारण), 26 फितम्बर 2006

## अनुसूची - 1

मंत्रियों को निजी कर्मचारियों की सुविधा निम्न प्रकार से अनुमान्य होगीं :-

्राठ सं0 1 म	.महानुभाव २ :	आप्त सचिय . 3	निजी सहायक 4	निम्नवर्गीय । লিपिक	आदेशपाल 6
				5	
1	्मुख्य मंत्री∕ मंत्री	02 (राजपत्रित पदा0-1, बाहय-1)	02 (सरकारी / वाहय)	्वे ०१ (सरकारी/वाह्य)	03 (सरकारी/वाह्य व्यवित)
2	য়াত্র্য পর্রাই	02 (राजपत्रित पदा01, वाहय1)	02 (सरकारी / वाहय)	०१ (सरकारी∕वाह्य)	02 (सरकारी/वाह्य व्यक्ति)
3,	उप गंत्री	01 (राजपत्नित पदा0)	02 (सरकारी / याहय)	०१ (सरकासी ∕ वाह्य)	02 (सरकारी/वाह्य ब्यावित)

नोट :/-

मंत्रियों के आप्त सचिव शाज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।

(ii) सरकारी कोटा के आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक की प्रतिनियुदित मंत्री की अधियाचना पर कार्मिक रवे प्रशासनिक सुधार विमाग हारा की जायेगी। आदेशपाल की प्रतिनियुदित मंत्री के स्थापना विभाग हारा की जायेगी।

(iii)

वाहय स्रोया के आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक/आदेशपाल की नियुक्ति संबंधित मंत्री के द्वारा स्वेच्छा से की जायेगी। उपरोयत वाहय व्यक्ति की सेवा सर्वथा अख्यायी हागी और मंत्री के कार्यकाल तक ही सीमित होगी। इसके पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें मंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है। उपरोक्त याहूय व्यक्तियों को वित्त बिभाग द्वारा निर्धारित नियत वेतन एवं अनुमान्य महंगाई भक्ता अनुमान्य होगी।